



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224508
CG-DL-E-18012021-224508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 187]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

का.आ. 207(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिदिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-2 के किमी 174.50 से यमुना एक्सप्रेसवे के किमी 141.00 को जोड़ने वाले छह लेन आगरा बाईपास (उत्तरी) के निर्माण कार्य के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच -2 के किमी 174.50 से यमुना एक्सप्रेसवे के किमी 141.00 को जोड़ने वाले छह लेन आगरा बाईपास (उत्तरी) के निर्माण कार्य की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (संयुक्त संगठन), मथुरा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly Proposed के कि.मी. 0 से 12.5 तक	उत्तर प्रदेश	मथुरा	महावन	1 अकौस बांगर
						2 कंजौली घाट बांगर
						3 कंजौली घाट खादर
						4 कनौरा बांगर
						5 मुर्शिदाबाद बांगर
						6 नगला गुखरौली
						7 सरायसाल बाहन
						8 नेरा बांगर
					मथुरा	1 पौरी
						2 शहजादपुर पौरी
3 रैपुराजाट						
4 भदाया						
2	अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.) , हाथरस	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly Proposed के कि.मी. 12.5 से 12.678 तक	उत्तर प्रदेश	हाथरस	सादाबाद	1 मिढावली

[फा. सं. NHAI/11013/2011-LA/Notif/2021/PIU-Agra]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2021

S.O. 207(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land acquisition for construction of six lane Agra Bypass (Northern) connecting km 174.50 of NH-2 to km 141.00 of Yamuna Expressway for building (widening / Six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition for Construction of six lane Agra Bypass (Northern) connecting km 174.50 of NH-2 to km 141.00 of Yamuna Expressway in the state of Uttar Pradesh

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer (Joint Organisation), Mathura	0KM To 12.5KM	UTTAR PRADESH	MATHURA	Mahavan 1 Akos Banger 2 Kanjauli Ghat Bangar 3 Kanjauli Ghat Khadar 4 Kanora Bangar 5 Murshidabad Bangar 6 Nagla Gukhrauli 7 Saraisal Vahan 8 Nera Bangar Mathura 1 Pauri 2 Shehzadpur Pauri 3 Raipura Jatt 4 Badhaya	
2	Addl. District Magistrate (F&R), Hathras	12.5KM To 12.678KM	UTTAR PRADESH	HATHRAS	Sadabad	1 Midhawali

[F. No. NHAI/11013/2011-LA/Notif/2021/PIU-Agra]

RAJESH GUPTA, Director